भाग एक : खण् ड नौ

# वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

## (बमांक 69, सन् 1980)

भारत के राष्टर्पितजी की ः वीकृि त िदनांक 27-12-80 को ू ाप् त तथा भारत के राजपS, असाधरण, पाटर् (2) सेक् शन 1 िदनांक 27-12-80 पृं ठ 737-738 पर ू कािशत ।

भारतीय गणतंS के इकतीसवें वषर् में संसद द्वारा अिधनियमत िकया गया।

वनों के संरक्षण और उससे सम् बिन्धत मामलों के िलये या उसके सहायक या आनुंषिगक िवषयों के िलये उपबन् ध करने हेतु अिधनयम ।

धारा 1. संिक्षप् त नाम, िवः तार तथा ू ारम् भ

(1) यह अिधनयम वन (संरक्षण) अिधनयम, 1980 कहलावेगा ।

(2) केवल जम् मू एवं कँ मीर राज् य को छोड़कर इसका िवः तार पूरे भारत पर है । (3)

यह िदनांक 25-10-80 से लागू िकया माना जावेगा ।

धारा 2. वनों के अन-आरक्षण (De-Reservation) या गैर वन ू योजन के िलये वन भूिम के ू योग पर ू ितबन् ध - िकसी राज् य में तत् समय ू वृत् त िकसी बात के समावेश होते हुए भी, कोई राज् य सरकार या अन् य ू ािधकरण केवल केन् िीय सरकार के पूवर् अनुमोदन के िसवाय िविनिदर्ं ट करते हुए कोई आदेश नहीं करेगा िक Ð

(i) िकसी आरिक्षत वन (उस राज् य में तत् सम ू वृत् त िकसी िविध में अिभव् यिक्त "आरिक्षत वन" के अथर् के अन् तगर्त) या उसके िकसी भाग का आरिक्षत वन नहीं रहना ।

(ii) िकसी वनभूिम या उसके िकसी भाग का िकसी गैर वन ू योजन के िलये उपयोग िकया जा सकना ।

(iii) कोई वन भूिम या उसका कोई भाग, िकसी िनजी व् यिक्त (Private Person), ू ािधकरण, सहकारी संः था, अिभकतार् (Agent) या अन् य िकसी संः था को जो शासन की न हो, तथा िजसका ू बन् धन शासन द्वारा न िकया जा रहा हो अथवा िजस पर शासन का िनयंSण न हो, को पट्टे पर (Lease) या अन् य रीित से िदया जा सकना ।

(iv) िकसी भी वन भूिम या उसके भाग को, पुन: वगीर्करण कायर् में उपयोग में लाने के िलए, उस पर ू ाकृितक रूप से उगे वृक्षों, झािड़यों को साफ िकया जाना ।

1 ः पं टीकरण Ð इस धारा में "गैर वनीय ू योजन" (Non Forestry Purpose) का तात् पयर् िनम् न कारणों से िकसी वन भूिम या उसके भाग को तोड़ना या सफाई करना है अथार्त्;

(क) चाय बगान, काफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल उत् पन् न करने वाले पौछे, बागवानी की फसल या औषधीय पौधों की खेती के िलए ।

(ख) वनीकरण के अितिरक्त अन् य ू योजन के िलए लेिकन उसमें वन और अन् य पशुओं के संरक्षण संवधर्न एवं ू बन् धन के सहायक कायर् जैसे जाँच चौकी की ः थापना, अिग्न सुरक्षा पट्टी (Fire Line) बेतार यंS संचार साधन (Wireless Communication) बागड़ (Fence) का िनमार्ण, पुल, रपटे (Culverts), बाँध (Dam), बाटर होल, शेन्च माकर्, सीमा िचह्न, पाइप साइन का िनमार्ण, या ऐसे कायर् सिम्मिलत नहीं है ।

धारा Ð 3 सलाहकार सिमित का गठन Ð केन् ि सरकार, जैसा वह उिचत समझे, उतनी संख् या के व् यिक्तयों को समावेश करते हुए सिमित का गठन करेगी जो िनम् न िवषय मेंउक्त सरकार को सलाह देगी यथा Ð

(i) धारा 2 के अन् तगर्त अनुमोदन का ू दाय,

(ii) वनों के संरक्षण से सम् बिन्धत कोई अन् य िवषय जो उसे केन् ि शासन द्वारा िनदेर्िशत िकये जावें ।

1 3 (क) अिधनयम के ू ावधानों के उल् लंघन हेतु दंड Ð जो कोई भी अिधनयम की धारा 2 के ू ावधानों का उल् लंघन करेगा, वह 15 िदवस की सादी कैद दंड का भागी होगा ।

1 3 (ख) शासन के िवभागों एवं ू ािधकािरयों द्वारा अपराध Ð जब इस अिधनयम के अन् तगर्त कोई अपराध (क) शासन के िवभाग द्वारा िकया जावे तो िवभाग ू मुख या (ख) ू ािधकरण (Authority) द्वारा िकया जाने पर ू त् येक व् यिक्त जो अपराध होते समय उस कायर् के ू भार में हो और जो ू ािधकरण का उस कायर् के ू ित उत् तरदायी हो तथा ू ािधकरण, उस अपराध के दोषी माने जावेंगे, उनके िवरूद्ध कायर्वाही की जावेगी और उन्हें दंिडत िकया जावेगा । परन् तु ;

(i) इस उपधारा की कोई बात के िलए िवभाग ू मुख या उपधारा 3 (ख) में विणर्त अन् य अिधकारी दंड का भागी नहीं होगा यिद वह यह ू मािणत करता है िक अपराध उसकी जानकारी के िबना हुआ है और उसने ऐसा अपराध न करने हेतु आवँ यक समः त उपाय बरते हैं ।

(ii) उपरोक् त उपधारा (i) की कोई बात होते हुए जब इस अधिनियम के अन् तगर्त दंडनीय अपराध िकसी शासन के िवभाग या धारा 'ख' में विणर्त ूािधकरण द्वारा िकया जाता है और यह ूमािणत हो जाता है िक अपराध िवभाग ू मुख या ू ािधकारी के अितिरक्त िकसी अन् य अिधकारी की सम् मित, िमली भगत (Connivance) या कोई अवहेलना के कारण हुआ है तो ऐसा अिधकारी दोषी माना जावेगा और उसे दंिडत िकया जावेगा ।

1. वन (संरक्षण) संशोधन अिधनियम 1988 के द्वारा जोड़ा गया। अिध. की ः वीकृित 17-12-88 को ूाप् त। भा. शा. राजपऽ (असा.) भाग-2 खंड 1 िद. 19-12-88 पृ. 1-3 पर ूकािशत (िदनांक 15-3-89) से लागू।

धारा 4. िनयम बनाने की शिक्त Ð (1) केन् िीय शासन राजपऽ में अिधसूचना के द्वारा इस अिधनियम के ूावधानों के िबयान् वयन के िलये िनयम बना सकती है ।

(2) इस अिधनियम के अन् तगर्त बनाये गये ूत् येक िनयम, उनके बनाये जाने के बाद यथा संभव शीघर् संसद के ूत् येक सदन के समक्ष, जब वह सऽ में हों, तीस िदनों के कुल समय के िलए जो िक एक ही सऽ में समािवं ट हो सकती है या दो या अिधक उत् तरवतीर् सऽों में हो सकता है और यिद सऽावसान के पूवर् हो तो शीय आगामी सऽ या उपरोक्त सऽों में, पटल पर रखे जावेगे, दोनों सदन िनयम में कोई उपान् तरण करने के िलए सहमत हों या दानों सदन इस बात से सहमत हों िक िनयम नहीं बनाया जाना चािहए, तब उसके बाद िनयम का ूभाव केवल उपान् तिरत रूप को या ूभावहीन होना है जैसा भी िःथित हो, इसिलए िफर भी उस िनयम के अन् तगर्त पूवर् में िकये गये िकसी कायर् की वैधता को ऐसा कोई उपान् तरण या वाितलकरण ूितकूल ूभाव डाले िबना होगा ।

धारा 5. िनरसन तथा व् यावृित्त Ð वन (संरक्षण) अध् यादेश, 1980 (बमांक 17, वषर् 1980) एतद् द्वारा िनरिसत िकया गया ।
(1) वन (संरक्षण) संशोधन िनयम 1988 द्वारा िनयम 3(क) (ख) जोड़े गये ।
भा. शा. राजपऽ (असा.) भाग (2) खण् ड-एक िदनांक 19.12.88 के पृं ठ 1-2 पर ूकािशत।
(2) ऐसे िनरसन के होते हुए भी कोई भी की गई बात या कोई कायर्वाही जो उपरोक्त अध् यादेश के ूावधानों के अधीन की गई है वह इस िनयम के अधीन की गई मानी जावेगी ।

नोट Ð पयार्वरण, वन एवं वन ूाणी मंऽालय की अिध. ब. S.O. 188 (E) िद. 15-3-89 द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन अिधनियम 1988 िदनांक 15-3-89 से ूभावशील । भारत राजपऽ भाग IIखंड 3(i) िद. 15-3-89 पृं ठ 2 पर ूकािशत ।